

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
दिनांक 31 जुलाई, 2014


सेवामें,

श्री कुंवर अयुब अली
63, जयपुरिया इन्कलेव,
कौशाम्बी, गाजियाबाद 2090


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन

श्री कुंवर अयुब अली, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 06.06.2014 के तहत आवेदन दायर किया ^{गया} है, जिसे श्री गिरीश कुमार, निदेशक (वीएस) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं 6.23014/94/2013-वी.एस. दिनांक 21.07.02014 के तहत अधोहस्ताक्षरी को अंतरित किया गया है।

2. आवेदन की परीक्षा की गई। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना कार्मिक-3 अनुभाग में उपलब्ध नहीं है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।
3. इस ओदश के विरुद्ध अपील डॉ० निर्मलजीत सिंह कलसी, संयुक्त सचिव (पुलिस-दो), गृह मंत्रालय को कर सकते हैं।


(शांतनु)

निदेशक (कार्मिक) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

 2309 2933

प्रतिलिपि:-

1. श्री गिरीश कुमार, निदेशक (वीएस) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, नई दिल्ली।
2. आई.टी.सेल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. मास्टर फोल्डर।

संकां

क्रमांक-3-2 का

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रार्थना पत्र/RTI Application
 राष्ट्रपति सचिवालय/President's Secretariat
 (सूचना का अधिकार) अनुभाग (RTH) Section
 संकीर्ण सं/By. No. 302/RTI/415
 दिनांक/Date. 6-6-14
 हस्ताक्षर/Signature. Jagan

सूचना के अधीन

दिनांक 19/06/14

सूचना के आवेदन के तहत प्रथम पृष्ठ पर

(1) कृपया यह सूचना देना का कलकत्ता
 कि माय नरेश मोदी की प्रथागत
 आदत लकाई के साथ जुड़न (नकाई)
 में कि तनी एन शांति अभिकार है

(2) कृपया यह सूचना देना का कलकत्ता
 कि एलए पहले UDA 2 का आवेदन
 के जो मंगल एन एन ही के साथ
 जुड़न लकाई के कि तनी एन
 शांति अभिकार है

President's Secretariat
 CENTRAL REGISTRY
 RTI
 - 5 JUN 2014
 6585 120/14/100

कृपया उपरोक्त सूचना के

निर्देश 63, जयपुरिया एन-कलेज का 2008
शांति 1915 पर देना का कलकत्ता

सूचना को लकाई के

106 का लकाई के

Jagan
 Jagan